न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, डुमरी (गिरिडीह)।

जमाबंदी सुधार वाद

सुशीला देवी -बनाम- अजित बर्णवाल वो राहुल कुमार

Case No - 01/2023-24

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
26.04.2024	आवेदिका, सुशिला देवी, पति: स्व0 दिनेश प्रसाद बर्णवाल, साकिन: इसरी बाजार, थाना: निमियांघाट, जिला: गिरिडीह के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आवेदन समर्पित कर सूचित किया गया है कि मौजा: इसरी, थाना नं. 130, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 612, रकवा: 02डि0 जमीन निबंधित बंटवारा दस्तावेज के तहत इनके पति स्व0 दिनेश प्रसाद बर्णवाल, पिता: स्व0 कोकिलचन्द साव के हिस्से की भूमि है। उक्त भूमि का जमाबंदी आवेदिका के पुत्र 1. अजित बर्णवाल वो 2. राहुल कुमार दोनों के पिता: स्व. दिनेश प्रसाद बर्णवाल के नाम से अंचल डुमरी के पंजी 2 में दर्ज है। जबकि आवेदिका का अनुरोध है कि उक्त भूमि का जमाबंदी आवेदिका के नाम से होना न्यायहित में होगा। इस मामले में आवेदिका के द्वारा उक्त भूमि का जमाबंदी अपने नाम से करने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा विपक्षी सदस्यों द्वारा अपना-अपना लिखित जवाब दायर किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित जवाब में उल्लेख किया गया है कि इस वाद में वर्णित भूमि मौजा: इसरी, थाना नं. 130, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 612, रकवा: 02डि0 जमीन प्रथम पक्ष के पति स्व0 दिनेश प्रसाद बर्णवाल पिता स्व0 कोकिल चन्द साव के नाम से निबंधित बंटवारा के तहत हासिल हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उक्त भूमि का जमाबंदी अंचल डुमरी के पंजी - II में आवेदिका के नाम से कायम न होकर उनके दोनों पुत्रों अजित बर्णवाल व राहुल कुमार के नाम से जमाबंदी कायम का लगान रसीद निर्गत किया जाने लगा। आवेदिका का कथन है कि उक्त भूमि उनके पति का है एवं वे अभी जिवित है इसलिए उक्त भूमि का जमाबंदी उनके नाम से कायम होना चाहिए। आवेदिका के द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि की जमाबंदी में सुधार कर उनके नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। द्वितीय पक्षकार सं. 2 के द्वारा जवाब दाखिल किया गया एवं कुछ राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति भी संलग्न किया गया। द्वितीय पक्षकार सं. 2, राहुल कुमार, का कथन है कि वादगत भूमि का जमाबंदी विधिवत तरीके से अंचल कार्यालय डुमरी में उत्तराधिकारी नामांतरण मुकदमा सं. 676/2016-17 के माध्यम से कायम किया गया है। जिसका जमाबंदी अजीत बर्णवाल, राहुल कुमार पिता: स्व. दिनेश प्रसाद, सा0 ईसरी के नाम से पंजी - II के भाग सं. 13 एवं पृष्ठ सं. 264 पर कायम है एवं अद्यतन लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष बहकावे में आकर उक्त भूमि का जमाबंदी अपने नाम से करवाना चाहती है, जो कि न्यायोचित नहीं है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि को बिक्री करने के नियत से	

26/4/24

द्वितीय पक्षकार सं. 1, अजीत बर्णवाल के साथ मिलकर मेरे सहमति के बिना दिनांक 19.11.2015 को एकरारनामा किया गया है, जिसका कुल रकम मो0 5,50,000/- रू0 तय किया गया एवं भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। उक्त एकरारनामा पर द्वितीय पक्षकार सं. 1 एवं प्रथम पक्ष मुझे डरा-धमकाकर हस्ताक्षर लेने का प्रयास किए जब मेरे द्वारा मना किया गया तो प्रथम पक्ष इस वाद को लेकर आए है। प्रथम पक्ष पैतृक एवं पूर्वज की सम्पति से मुझे बेदखल करने के नियत से उक्त जमाबंदी को अपने नाम से कायम करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है। द्वितीय पक्षकारा सं. 2 के द्वारा वर्तमान जमाबंदी का सही ठहराते हुए उसे कोई संशोधन नही करने हेतु तथा प्रथम पक्ष के द्वारा लाए गए इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्षकारा सं. 1, अजीत बर्णवाल, के द्वारा भी जवाब समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण पिता के मृत्यु उपरान्त कराने हेतु वर्ष 2015-16 में आवेदन अंचल कार्यालय में दोनों भाईयों के द्वारा दिया गया था। अंचल कार्यालय के कर्मियों द्वारा गलती से नामांतरण उनके माँ के नाम से न करके दोनों भाईयों के नाम से कर दिया गया। इनके द्वारा Hindu Succession Act, 1956 की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त भूमि का कानूनी उत्तराधिकारी उनकी माँ है, इसलिए उक्त भूमि का जमाबंदी भी उनके माँ के नाम से कायम होनी चाहिए। इस हेतु इनके द्वारा न्यायालय से उक्त नामांतरण में संशोधन करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

----- विचारण एवं आदेश -----

उभय पक्षकारों द्वारा समर्पित लिखित जवाब, वादगत भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथम पक्ष के द्वारा मौजा: इसरी, थाना नं. 130, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 612, रकवा: 02डि0 जमीन निबंधित Deed of Partition के माध्यम से 15.06.1995 में कोकिलचन्द साव के द्वारा अपने वंशजों के बीच किया गया है, जो कि पूर्वजों की सम्पति है। इसी Deed of Partition के माध्यम से कोकिलचन्द साव के वास्तविक उत्तराधिकारी पुत्र स्व. दिनेश प्रसाद वर्णवाल, जो कि प्रथम पक्ष के पति हैं एवं विपक्षी सदस्यों के पिता है, को उक्त भूमि प्राप्त है, जिसपर उनके पुत्रों का पूर्ण अधिकार होने के कारण ही विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण आवेदिका के दोनों पुत्रों के आवेदन के आधार पर उत्तराधिकारी नामांतरण वाद सं. 676/2016-17 के माध्यम से दोनों पुत्रों के नाम उक्त भूमि का नामांतरण कर जमाबंदी कायम किया गया है। जो कि पूर्णत: विधिसम्मत है। नामांतरण वर्ष 2016-17 में कायम की गई है और आवेदिका के द्वारा लगभग 08 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि को अपने नाम से जमाबंदी कायम कराने हेतु प्रयास नामांतरण मुकदमा सं. 483/2023-24 के माध्यम से किया गया है, जिसे विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा दिनांक 05.10.2023 को यह आदेश अंकित करते हुए खारिज किया गया है कि उक्त आवेदित भूमि का जमाबंदी पूर्व में ही दाखिल-खारिज स्वीकृत कर आवेदिका के पुत्रों के

नाम से कायम किया गया है एवं लगान रसीद निर्गत है, पुनः माँ के नाम से दाखिल-खारिज स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार इस वाद को प्रथम पक्ष के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लाकर अपने नाम से जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया जाना विधिसम्मत नहीं है। साथ हीं द्वितीय पक्षकार सं. 2 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकार सं. 1 के मिलीभगत से उक्त भूमि से द्वितीय पक्षकार सं. 2 को बेदखल करने के नियत से हीं जमाबंदी को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि Natural Justice नहीं है। चूंकि वादगत भूमि का उत्तराधिकारी नामांतरण वर्ष 2016-17 में हीं स्वीकृत होकर भूमि के वास्तविक रैयत के वंशजों के नाम से जमाबंदी विधिवत कायम किया जा चुका है इसलिए इस मामले में Hindu Succession Act, 1956 की धारा 8 प्रभावी नहीं है। Hindu Succession Act, 1956 की धारा 8 के तहत दावा प्रस्तुत किया जाना एक अलग हीं वाद का विषय है, जिसका निष्पादन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। इस हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकार सं. 1 अगर चाहें तो Hindu Succession Act, 1956 की धारा 8 के तहत दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

अतः उपर्युक्त विवेचनाओं एवं तथ्यों तथा राजस्व दस्तावेजों के आधार पर प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है तथा इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षकारों को तथा अंचल अधिकारी, डुमरी को उपलब्ध कराऐं।

लेखापित एवं संशोधित

26/4/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
डुमरी।

26/4/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
डुमरी।

Digitally signed by JITRAY MURMU
Date: 2024.08.03 17:31:01 +05:30
Location: 192.168.1.3